राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.33 (2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक 26.04.2020

जिला कलेक्टर (समस्त)

विषय :– लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से राजस्थान में आ रहे राजस्थान के मूल निवासी – **महत्वपूर्ण निर्देश।**

ऐसा ज्ञात में आया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान अन्य राज्यों से राजस्थान के मूल निवासी अपने राज्यों से परमिट आदि लेकर वाहनों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं एवं अपने शहर/गाँव जा रहे हैं, एवं इस प्रवृत्ति की आगामी दिनों में बढ़ने की सम्भावना है। इस स्थिति में राज्य के लोगों की कोरोना संक्रमण से बचाव करने के उद्देश्य से निम्न व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थापित की जावे :–

1. राज्य के सीमा वाले जिलों में चैकपोस्ट स्थापित की जावे, जहाँ समस्त आगन्तुकों का रजिस्ट्रीकरण हो, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाईल नम्बर आदि अंकित हो। इस बाबत् आपको पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2. चूंकि ये व्यक्ति अपने निजी साधनों से सीधे अपने घर पहुँच सकते हैं, जिसकी सूचना प्रशासन को नहीं होगी, अतः यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर मौहल्लों एवं गाँवों में सुदृढ़ सूचना तंत्र हो, जिससे कि इस अवधि में कोई भी नया व्यक्ति आये, तो उसके बारे में सूचना स्थानीय प्रशासन को मिल सके, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे व्यक्ति आगामी 14 दिनों तक होम क्वारनटीन में रहें।

3. प्रत्येक पटवारी अपने पटवार हल्का क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके पास ऐसी सूचना तत्काल उपलब्ध हो जो वह तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी को नियमित रूप से देगा। पटवारी को इस कार्य में BLO (बूथ लेवल अधिकारी) सहायता करेगा। शहरी क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाये। जिला कलेक्टर इस बाबत् आदेश जारी करेंगे।

4. स्थानीय समुदाय में जन चेतना विकसित की जाये कि वे भी अपने हित के लिए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को हो एवं वे 14 दिनों के लिए अपने घर के अन्दर क्वारनटीन में रहें। साथ ही यदि कोई ऐसा व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसकी भी सूचना वह तत्काल

स्थानीय प्रशासन को दे, जिससे कि ऐसे व्यक्ति को घर से हटाकर प्रशासन के Isolation Centre में रखा जा सके।

5. कुछ ऐसे गाँव हैं, जहाँ स्थानीय लोग बाहर से आ रहे व्यक्तियों को गाँव में प्रवेश नहीं करने दे रहे। ऐसी स्थिति में वहाँ किसी स्कूल आदि भवन में क्वारनटीन सेन्टर बनाया जाये, जहाँ पर बाहर से आये व्यक्तियों को ठहराया जा सके एवं वहाँ के खाने–पीने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी स्थानीय लोगों को दिया जाये।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त
5. समस्त महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, रेंज
6. समस्त पुलिस अधीक्षक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह